>

Title: Issue regarding relief fund for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं राजस्थान के संसदीय क्षेत्र बीकानेर से आता हूं। 17 फरवरी, 2012 को किशन लाल नामक युवक की पुलिस हिरासत में मौत हुई, ऐसा आरोप है। एससी एसटी के लोगों पर जब अत्याचार और अनाचार होता है तो उसे रिलीफ देने का प्रावधान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किया है। 1995 में यह प्रावधान किया गया। इसके बाद जब एससी एसटी पर एट्रोसिटीज़ की घटनाएं बढ़ीं तो इसी हाउस में दो दिन चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद भारत सरकार ने कुछ राशि बढ़ाई। 17 साल बाद राशि बढ़ाई गई। यह सरकार वैसे तो आम आदमी की बात कहती है लेकिन जब एससी एसटी का इश्यू आता है तो इसे आम आदमी नजर नहीं आता है। प्रावधान किया गया और 17 साल बाद दो लाख से पांच लाख राशि बढ़ाई गई। इसमें प्रावधान किया गया है कि पांच लाख राशि में से पोस्टमोर्टम रिपोर्ट पर 75 परसेंट राशि दे सकते हैं। मैं जिस केस के बारे में बता रहा हूं इसमें सिर्फ दो लाख रुपए राशि मानी गई। मैंने उनसे कहा यह सर्कुलर 23 दिसंबर को जारी हुआ है आप पुराने सर्कुलर से राशि क्यों दे रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जो सर्कुलर निकलते हैं, वे समय पर नहीं पहुंचते हैं। भारत सरकार जो राशि जारी करती है, वह भी समय पर नहीं पहुंचती है। दलितों पर अत्याचार और अनाचार की घटनाओं के लिए राशि समय पर मिलनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पांच लाख रुपए का प्रावधान किया गया है यह दस लाख रुपए होना चाहिए। यह अपनी फैमिली में अकेला अर्निंग मैम्बर था। आइटम नं. 20 में अर्निंग मैम्बर के लिए प्रावधान किया गया है कि अर्निंग मैम्बर आफ फैमिली की मृत्यु पर पांच लाख रुपए का प्रावधान है। मेरा कहना है कि अगर 60 साल का आदमी मरता है तो उसके लिए पांच लाख ठीक है, यह समझ में आता है लेकिन अगर 30 साल का आदमी मरता है तो उसके लिए पांच लाख रुपए राशि का प्रावधान कैसे कर सकते हैं? इसके लिए मिनिमम राशि दस लाख रुपए होनी चाहिए, फैमिली को पेंशन दी जानी चाहिए और फैमिली के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तुंत मिलनी चाहिए। धन्यवाद।